

आदेश की क्रम सं०
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित
3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 13 of 2018

Dist.:- Patna

**PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.**

Ashok Kumar Singh

Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar

Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner :

For the OP :

ORDER

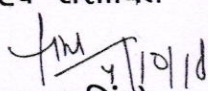
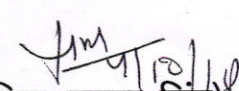
04.10.2018

प्रस्तुत सेवा अपील वाद अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग के आदेश ज्ञापांक- 2479 दिनांक- 08.11.2017 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

श्री अशोक कुमार सिंह, सहायक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना दिनांक- 11.09.2017 से बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण निदेशालय के पत्रांक-2006 दिनांक- 13.09.2017 द्वारा कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री सिंह का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 19(क) के तहत उनसे अभ्यावेदन की मांग की गई कि वे किस कारण एवं किस परिस्थिति में बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहें। इसके आलोक में श्री अशोक कुमार सिंह के द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक- 10.10.2017 को समर्पित किया गया।

श्री अशोक कुमार सिंह के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख है कि वे पक्षाघात जैसी खतरनाक बिमारी से ग्रसित थे जिसका ईलाज डॉक्टर

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	सी०एम०झा के यहाँ चल रहा था। इन्होंने यह भी लिखा कि वे दिनांक- 15.09.2017 एवं दिनांक- 25.09.2017 को बिमारी की सूचना निदेशालय को दिये थे लेकिन अभिलेख में इनका एक मात्र आवेदन दिनांक- 26.09.2017 ही उपलब्ध है। श्री सिंह के आवेदन के साथ संलग्न डॉ० सी०एम०झा के पूर्जा से स्पष्ट होता है कि श्री सिंह वहाँ पर दिनांक- 12.09.2017 को दिखाये थे जबकि वे दिनांक- 11.09.2017 से ही बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित थे, अगर इनकी तबियत खराब हो रही थी तो दिनांक-11.09.2017 को अपने प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक निदेशक को बिमारी की लिखित या मौखिक रूप से सूचना दे सकते थे जो इनके द्वारा नहीं दिया गया। इस प्रकार इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियमत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 14 (V) के तहत संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया। इनका दिनांक- 11.09.2017 से दिनांक- 08.10.2017 तक का कुल 29 दिनों की अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि “दिनांक- 11.02.2017 को उनके अवकाश लेखा में 300 दिन उपार्जित अवकाश देय था। अतः बिहार सेवा संहिता के नियम 180 के अनुसार उपार्जित अवकाश देय रहते हुए असाधारण अवकाश की स्वीकृति नहीं की जा सकती है। संयुक्त निदेशक प्रशासन द्वारा यह कहना कि मुझे दिनांक- 11.09.2017 के पक्षाघात लगने के दिन ही डॉक्टर को दिखाना था और मैं दिनांक- 12.09.2017 को डॉक्टर के पास गया इस लिये दिनांक- 11.09.2017 को पक्षाघात होने की बात सही नहीं है। उनके पुर्णतः अमानवीय मानसिकता को	

देश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	दर्शाता है। सही डॉक्टर के चुनाव, पैसे की व्यवस्था एवं डॉक्टर के पास नम्बर लगाने की प्रक्रिया में एक दिन का समय लगना स्वाभाविक है। इन सब प्रक्रिया में दूसरे दिन अर्थात् दिनांक- 12.09.2017 को चिकित्सक के पास गया जो कि हमारे द्वारा आवेदन के साथ समर्पित चिकित्सा पुर्जा से स्पष्ट है। साथ ही संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा यह कहा जाना कि मुझे दिनांक- 15.09.2017 को बीमारी लिखित सूचना निदेशालय को देने की पावती प्राप्त करनी थी व्यवहारिक नहीं है। अवकाश आवेदन का आवेदन मैंने निदेशक कोषांग में हाथों-हाथ हस्तगत कराया था। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों एवं मेरी गंभीर बीमारी को देखते हुये मानवीय दृष्टिकोण से विचार करते हुए मेरी असाधारण अवकाश अवधि को पूर्ण औसत वेतन पर उपार्जित अवकाश में परिवर्तित कर निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक- स्था०-11 स्था० 01-02/2007/366 दिनांक- 08.11. 2017 के द्वारा संसूचित दण्ड को रद्द एवं निष्प्रभावी करने एवं दण्डमुक्त करने की कृपा की जाय।” सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिया गया दंड आनुपातिक (Proportionate) नहीं है। चूँकि वे पक्षाघात जैसी बीमारी से ग्रसित होने के कारण अनुपस्थित रहे हैं। अतः न्यायहित में इस वाद को प्रधान सचिव/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग को Remand किया जाता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन कर Fresh Order पारित करें। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	